विलोपित COURT FEE कोर्ट फी भारत INDIA TWENTY RUPEES Rs.20

COURT FEE कोर्ट फी भारत TEN RUPEES Rs.10 विलोपित

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी–2674/2018/छिंदवाडा/भू.रा.

श्री ब्रजेन्द्र सिंह धाकड़ द्वारा आज दि. 2-5-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 7-5-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1– मेहतलाल इवनाती पिता पीरू इवनाती आयु– 76 वर्ष जाति गोंड निवासी आर्शीवाद ढाबा के पास, थुनिया भांड इमलीखेडा, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

2– मेहताब इवनाती पिता पीरू इवनाती आयु– 70 वर्ष जाति गोंड निवासी वार्ड नम्बर–1 इमलीखेडा, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

3– रामू इवनाती पिता हीरूं इवनाती आयु– .70 वर्ष जाति गोंड निवासी आर्शीवाद ढाबा के पास, थुनिया भांड हुथाधना इमलीखेडा, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

4– रामोबाई पति पंचलाल पिता हीरू आयु– 65 वर्ष जाति गोंड निवासी वार्ड नम्बर–9, ग्राम सर्रा, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

5– सुखवती इवनाती पति अमरलाल इवनाती आयु– 75 वर्ष जाति गोंड निवासी धर कमांक 215 वार्ड नम्बर–19, युता ढाना इमलीखेडा, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

ब्रजेन्द्र सिंह धाकड़
02/05/18

6– रामदास युवनाती पिता अमरलाल युवनाती आयु– 55 वर्ष जाति गोंड निवासी वार्ड नम्बर 19, ग्राम थुनिया भांड इमलीखेडा, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

7– राधो पिता अमरलाल आयु– 23 वर्ष निवासी धर कमांक– 53 जाति गोंड निवासी थुनियाभांड, जिला छिन्दवाडा (म.प्र)

8– जागो इवनाती पिता अमरलाल आयु– 4,1 वर्ष जाति गोंड निवासी बैतूल रोड़ थुनिया भांड इमलीखेडा, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति
पृष्ठ क्र.
दिनांक
हस्ताक्षर व नाम

9– रामनाथ युवनाती पिता अमरलाल युवनाती आयु– 58 वर्ष जाति गोंड निवासी वार्ड नम्बर–19 नागदेव मंदिर के पास, थुनिया रोड, पोस्ट मोहखेड़, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

10– जागवती उर्फ जागवतीबाई पिता अमरलाल आयु– 54 वर्ष जाति गोंड निवासी पोस्ट अमरेठ, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

11– कुशमा बाई पति अमरू युवनाती आयु– 77 वर्ष जाति गोंड निवासी आर्शीवाद ढाबा के पास, थुनिया भांड हुथाधना इमलीखेडा, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

12– सिरमन इवनाती पिता अमरू इवनाती आयु– 64 वर्ष जाति गोंड निवासी 64 सहज पूरी ब.न. 543 गढमारी ग्राम गढमारी, तहसील व जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

13– श्रीचन्द्र युवनाती पिता अमरू युवनाती आयु– 53 वर्ष जाति गोंड निवासी वार्ड नम्बर–19, ग्राम थुनिया भांड इमलीखेडा, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

14– उदयभान इवनाती अमरू इवनाती आयु– 51 वर्ष जाति गोंड निवासी आर्शीवाद ढाबा के पास, थुनिया भांड हुथाधान इमलीखेडा, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

15– कुवरवती पति सुखराम आयु–51 वर्ष ज़ाति गोंड निवासी धर कमांक– 44/92 होलागे कॉलोनी, वार्ड नम्बर–30 सोभापुर कॉलोनी सोभापुर, पाथाखेडा बैतूल (म.प्र.)

16– सिरवती पति मोहबा आयु– 50 वर्ष जाति गोंड निवासी थुनिया भांड इमलीखेडा, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

17– रवि वट्टी पिता रेवा वट्टी आयु– 29 वर्ष जाति गोंड निवासी वार्ड नम्बर–11, खुना झिरकला, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

18– अरविन्द वट्टी पिता रेवा वट्टी आयु– 28 वर्ष जाति गोंड निवासी वार्ड कमांक–11, स्वराज भवन के पास पोस्ट इमलीखेडा, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

19– रेखवती धुर्वे पति राधेश्याम धुर्वे आयु– 40 वर्ष जाति गोंड निवासी वार्ड नम्बर–4 खुना झिरकला, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

20– शेखवती वाडिवा पति सुनील वाडिवा आयु– 32 वर्ष जाति गोंड निवासी वार्ड कमांक–05 सिल्लेवानी उमरानाला, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

21– रेखा धुर्वे पति नारायण धुर्वे आयु–47 वर्ष जाति गोंड निवासी वार्ड नम्बर–11 रिवर गांव के पास मनकादेहि कला परासिया, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

22– किरण धुर्वे पति कन्हैया लाल आयु– 34 वर्ष जाति गोंड निवासी पाठाढाना उमरेठ परासिया, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

द्वारा– मुख्त्यारग्रहीता उदयभान इवनाती पिता अमरू इवनाती निवासी आर्शीवाद ढावा के पास थुनिया भांड इमलीखेडा जिला छिन्दवाडा (म.प्र.) ————————आवेदकगण

बनाम

म. प्र. शासन द्धारा कलेक्टर महोदय,
जिला– छिन्दवाडा (म.प्र.) ————————अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा – 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश कलेक्टर महोदय, जिला छिन्दवाडा के प्रकरण कमांक 102/अ–21/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 28–4–2018 से परिवेदित होकर।

माननीय,

आवेदकगण का निगरानी आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के तथ्यः–

संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा ग्राम खुनाझिरकला रा.नि.म. इकल बिहारी प0ह0न0 41, तहसील मोहखेड, जिला छिन्दवाडा स्थित भूमि खसरा नम्बर – 81 रकवा 2.023 हैक्टेयर भूमि जो कि आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की है जो पैतृक भूमि होकर उपरोक्त भूमि पर गड्डे स्थित होकर, आवेदक को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, जो कि शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है। जिस पर वर्तमान में आवेदकगण के मालिकाना हक व राजस्व अभिलेख में उसका नाम भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज है। उक्त भूमि पूर्णतः असिंचित है जिस पर कृषि किया जाना संभव नहीं है वर्तमान में आवेदकगणो में से कुछ आवेदक अत्यंत वृद्ध हो चुके है तथा अन्य आवेदक प्रायः अस्वस्थ्य भी रहते है। आवेदको में से कुछ आवेदको पर शादी कि जिम्मेदारी है व कुछ को शिक्षा प्राप्त करने के लिए रूपयों की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण अपनी उक्त भूमि की किसी भी स्थिति में देखभाल करने के लिए सक्षम नहीं है। इस कारण आवेदकगण द्वारा ग्राम खुनाझिरकला रा.नि.म. इकल बिहारी प0ह0न0 41, तहसील मोहखेड, (अधिसूचित क्षेत्र से वाहय) जिला छिन्दवाडा स्थित भूमि खसरा नम्बर – 81 रकवा 2.023 हैक्टेयर भूमि का गैर आदिवासी केता श्री मंयक कोठारी पिता हुकुम चन्द कोठारी आयु– 30 वर्ष निवासी कोठारी हाउस, नगर निगम ऑफिस के पास, बडवन छिन्दवाडा, तहसील व जिला छिन्दवाडा (म.प्र.) से विकय का अनुबंध किया गया ।

3

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी/2674/2018/छिंदवाड़ा/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, छिंदवाडा के प्रकरण क्रमांक 102/अ-21/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 28-4-18 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति के संबंध में है । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की मौजा ग्राम खुनझिरकला ब0नं0 107 प0ह0नं0 41 तहसील मोहखेड, जिला छिंदवाड़ा स्थित भूमि खसरा नं0 81 रकबा 2.023 हैक्टर भूमि को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति चाही गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 5-3-76-384-सात-न 1 दिनांक 21-2-1977 म0प्र0 राजपत्र दिनांक 11-3-1977 के अनुसार अंतरण पर रोक विनिर्दिष्ट दिनांक 26 जनवरी, 1977 के पश्चात आदिम जनजाति के विनिर्विष्ट क्षेत्र के भूमिस्वामी अधिकारों के बगैर आदिम जनजाति के व्यक्ति के हित में अंतरण पर पूर्णत: रोक लगा दी गई है और चूंकि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति हैं और वे गैर आदिवासी को भूमि विक्रय करना चाहते हैं । उक्त आधार पर कलेक्टर ने आवेदक के आवेदन को ग्राह्य	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	योग्य न मानते हुए निरस्त किया है । इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उक्त प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते है क्योंकि आवेदित भूमि अधिसूचित क्षेत्र में स्थित नहीं है और ना ही गया कि आवेदित भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि है बल्कि आवेदक की अर्जित भूमि है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच कराए एवं प्रकरणं के तथ्यों को अनदेखा कर गलत आधार पर आवेदन निरस्त किया है । 3/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में भूमि को अधिसूचित क्षेत्र में स्थित होने के आधार पर आवेदक का आवेदन निरस्त किया है, जो उचित है । 4/ उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में संहिता की धारा 165 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया । यह सही है कि कलेक्टर द्वारा राज्य शासन की जिस अधिसूचना का हवाला दिया गया है उसके अनुसार आदिम जनजाति क्षेत्र में छिंदवाडा जिले की छिंदवाडा, सौंसर एवं अमरवाडा तहसील सम्मिलित. थी परंतु इसके उपरांत संहिता की धारा 165 (6क) से (6डड) तक के प्रयोजन के लिए भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II-ख-3 (i) में प्रकाशित अधिसूचना सा.का.नि.797 (अ) दिनांक 31 दिसम्बर 1977 द्वारा भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के छठे पैरा के उपपैरा (2) द्वारा बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश एवं उड़ीसा राज्य के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये गये हैं । मध्यप्रदेश के लिए घोषित अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूची सरल क्रमांक 21 पर छिंदवाडा तहसील के तामिया और जामाई जनजातीय विकासखंड, पटवारी सर्किल क्रमांक 63 से 68 और	

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी/2674/2018/छिंदवाड़ा/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	क्रं0 72 और 73 पटवारी सर्किल क्रं0 62 के सीरगांव खुर्द और किरवानी-गांव, पटवारी सर्किल क्रमांक 69 के मैनावाडी और गौली परासिया गांव तथा पटवारी सर्किल क्रं0 97 का गांव बम्हनी इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित क्षेत्र हैं । इस अनुसूची में मौजा ग्राम खुनझिरकला ब0नं0 107 प0ह0नं0 41 तहसील मोहखेड, जिला छिंदवाड़ा जहां प्रश्नाधीन भूमि स्थित है का कोई उल्लेख नहीं है । इस प्रकार यह पाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि अधिसूचित क्षेत्र में स्थित होने से संहिता की धारा 165 (6क) से (6डड) के बंधन से मुक्त है । इस प्रावधान को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है । अत: उक्त विधिक स्थिति तथा आवेदकों की ओर से विक्रय की अनुमति दिए जाने के लिए उल्लिखित किये गये आधारों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकों को उनके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अत: कलेक्टर, छिंदवाडा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की मौजा ग्राम खुनझिरकला ब0नं0 107 प0ह0नं0 41 तहसील मोहखेड, जिला छिंदवाड़ा स्थित भूमि खसरा नं0 81 रकबा 2.023 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति इन शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	लाइन एवं बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य आवेदक को अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूंचित हों । (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	